ए.

आईकॉन एजुकेशन सोसाइटी बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 1760)

बी.

17 मार्च, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और संजय कुमार**,** जे**.** जे**.]**

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विन्यास अवाम शुल्क का निर्देशन) अधिनियम, 2007 -एस. 9-शुल्क-निर्धारण-प्रवेश की शक्ति और शुल्क नियामक समिति (ए. एफ. आर. सी.)-आयोजितः2007 के अधिनियम के तहत गठित ए. एफ. आर. सी. संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्कों के संबंध में केवल 'विनियमन' की शक्ति का प्रयोग करता है।9(1) 2007 के अधिनियम-गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को उन शुल्कों का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता दी गई है जो वे एस में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए लेना चाहते हैं। 9(1) 2007 के अधिनियम के तहत संरक्षित है-यह केवल इस तरह से प्रस्तावित शुल्क को विनियमित करने के माध्यम से है कि ए. एफ. आर. सी. संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद प्रस्तावित शुल्क की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा-इस प्रकार, वर्तमान मामले में, ए. एफ. आर. सी. के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा ली जाने वाली शुल्क को एकतरफा रूप से निर्धारित करने के लिए खुला नहीं है-साथ ही, अपीलकर्ता इस अभ्यास को करने में पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है और ए. एफ. आर. सी. द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से छूट की मांग कर सकता है-अपीलकर्ता को एस. के प्रावधानों के अनुसार, समीक्षा और विनियमन के उद्देश्य से अपने संस्थानों के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में ए. एफ. आर. सी. को प्रस्तावित शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए।9 2007 के अधिनियम और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें निर्दिष्ट निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत-भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (छ), (6), 30 (1)-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 -एस. 2 (जी)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम। की स्थिति

जी.

कर्नाटक और अन्य (2002) 8 एससीसी 481:[2002] 3

पूरक।एससीआर **587;** पी**.** ए**.** इनामदार और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र और अन्य (2005) 6 एससीसी 537:[2005] 2

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 603;** आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए

एच.

728

729

आइकन एजुकेशन सोसाइटी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ए

अन्य (2016) 7 एस. सी. सी. 353:[2016] 3 एस. सी. आर. 579-अनुसरण किया गया।

एस**.** के**.** मो**.** रफीक बनाम। प्रबंध समिति**,** कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा और अन्य **(2020) 1** एससीटी **627 (**एससी**);** अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य **(1974) 1** एससीसी **717:[1975] 1** एस**.** सी**.** आर**. 173;** निजी दंत चिकित्सा और चिकित्सा महाविद्यालय संघ बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(2009)** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

ऑनलाइन एमपी **760-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

सी.

[2016] 3 एससीआर **579**

पीछा किया।

पैरा **3,7** और **13**

[1975] 1 एससीआर **173**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2002] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 587** ने पैरा **11,12 [2005] 2** सप्लीमेंट का अनुसरण किया।एस**.** सी**.** आर**. 603** ने पैरा **12** का अनुसरण किया

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 1760।

2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 9690 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

ई.

दमा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता, पाई अमित, रोहित आर. साबू, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, अभियुदय वत्स, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

पी. वी. योगेश्वरन, ए. ए. जी., सुश्री रुक्मिणी बोबडे, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री सौम्या प्रियदर्शिनी, अंकित अम्बास्ता, अमित कुमार श्रीवास्तव, अमलान कुमार, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय कुमार**,** जे।

अनुमति दी गई

जी.

2. इस मामले में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य में किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विन्यास) अधिनियम, 2007 (संक्षेप में, '2007 का अधिनियम') के प्रावधानों के तहत प्रवेश और शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने की आवश्यकता है?

एच.

3. यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि 2007 के अधिनियम की रूपरेखा और आयात, जिसमें वन-निर्मित प्रश्न भी शामिल है, को आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय में एक संविधान पीठ द्वारा निपटाया और तय किया गया था और

अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और

अन्य [(2016) 7 एससीसी 353]।हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के अनुपात निर्णय को ठीक से समझने में पक्षों की विफलता वर्तमान मुकदमेबाजी का कारण बनी।

बी.

4. आइकन एजुकेशन सोसाइटी, जो इसमें अपीलकर्ता है, इंदौर में दो गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का रखरखाव और प्रबंधन करती है।, इंदौर विधि संस्थान और इंदौर नर्सिंग कॉलेज।ये दोनों संस्थान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 की धारा 2 (जी) के तहत 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान' के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। जबकि, 2007 के अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (संक्षेप में, 'ए. एफ. आर. सी.') ने दिनांक 1 के पत्र द्वारा इंदौर विधि संस्थान से अपने द्वारा प्रस्तावित विधि पाठ्यक्रमों से संबंधित शुल्क के विनियमन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया।इसके बाद 24.07.2019 पर एक अनुस्मारक दिया गया, जिसे मध्य प्रदेश राज्य के सभी निजी विधि महाविद्यालयों को संबोधित किया गया था।अपीलकर्ता सोसायटी ने दिनांक 1 के जवाब को संबोधित करते हुए कहा कि ए. एफ. आर. सी. को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने का अधिकार नहीं है और अनुरोध किया कि जारी किए गए नोटिसों को वापस लिया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।ए. एफ. आर. सी. ने जवाब दिया, दिनांकित 14.11.2019 पत्र के माध्यम से, जिसमें कहा गया था कि 08.11.2019 पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों की फीस ए. एफ. आर. सी. द्वारा तय की जानी चाहिए। अपीलकर्ता समिति को तदनुसार सूचित किया गया कि ए. एफ. आर. सी. द्वारा निर्धारित शुल्क में छूट पाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

5. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता सोसायटी ने 2007 के अधिनियम की धारा 10 के तहत नामित प्राधिकारी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।अपील प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि शुल्क के विनियमन/निर्धारण की प्रक्रिया अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों संस्थानों के लिए

समान थी।अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा पसंद की गई समीक्षा/वापस बुलाने की याचिका को 06.03.2020 पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।

एफ.

जी.

6. इसके बाद, अपीलकर्ता सोसायटी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष 2020 का डब्ल्यू. पी. संख्या 9690 दायर किया।इसमें उसका अनुरोध था कि 2007 के अधिनियम की धारा 4 और 9 को अधिकार से बाहर घोषित किया जाए क्योंकि ये प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतर नहीं करते थे और इसके परिणामस्वरूप, ए

एच.

731

आइकन एजुकेशन सोसाइटी बनाम मध्य प्रदेश और अन्य राज्य [संजय कुमार, जे.] ए.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क निर्धारण से छूट नहीं दी गई है।एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, अपीलकर्ता सोसायटी को 2007 के अधिनियम की धारा 9 के आवेदन से छूट देने के लिए एक और निर्देश की मांग की गई थी, जिससे उसे अपनी फीस तय करने की अनुमति मिल सके।

7. दिनांक 19.11.2020 के आदेश द्वारा, इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।डिवीजन बेंच ने कहा कि 2007 के अधिनियम की वैधता को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है

बी.

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर **(**ऊपर**)**।द हाई

अदालत ने तब एस. के. पर भरोसा किया। मो. रफीक बनाम। प्रबंध समिति, कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा और अन्य [(2020) 1 एससीटी

627(एस**.** सी**.)],** जिसमें इस न्यायालय ने अहमदाबाद में अपने पहले के आदेश का उल्लेख किया था

सी.

सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसायटी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और

एक अन्य [(1974) 1 एस. सी. सी. 717] कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार पूर्ण या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं है और अनुच्छेद 30 (1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना था।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नियम और विनियमों सहित देश के कानून बहुसंख्यक संस्थानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।जे ने अपनी सहमति में कहा था कि दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए-एक, संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और दूसरा, शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करना।

डी.

संस्थाएं।आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के आलोक में

ई.

(सुप्रा) और एस. के. मो. रफीक (ऊपर), उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ए. एफ. आर. सी. द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया था।

8. सुना Mr.Dama शेषाद्री नायडू, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता सोसायटी की ओर से पेश हुए; और Mr.P.V.Yogeshwaran, विद्वान एएजी, मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए।

एफ.

9. 2007 के अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4 ए. एफ. आर. सी. के गठन और स्थापना से संबंधित है। धारा 4 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए और शुल्क के निर्धारण के लिए 'प्रवेश और शुल्क नियामक समिति' नामक एक समिति का गठन करेगी।धारा 4 (8) में प्रावधान है कि ए. एफ. आर. सी. को एक निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान या एक मानित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है,

जी.

एच.

निर्धारित तिथि तक, ए. एफ. आर. सी. को प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी और इस प्रकार निर्धारित शुल्क ऐसी अवधि के लिए मान्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

बी.

10. 2007 के अधिनियम का अध्याय 4 शुल्क के निर्धारण से संबंधित है।धारा 9 (1) में प्रावधान है कि, निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के स्थान को ध्यान में रखते हुए; पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति; भूमि और भवन की लागत; उपलब्ध बुनियादी ढांचा, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और उपकरण; प्रशासन और रखरखाव पर खर्च; पेशेवर संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष; और कोई अन्य प्रासंगिक कारक, ए. एफ. आर. सी. निर्धारित तरीके से, निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस का निर्धारण करेगा।धारा 9 (2) में प्रावधान है कि ए. एफ. आर. सी. संस्थान को कोई भी शुल्क तय करने से पहले सुनवाई का अवसर देगा।इसके तहत प्रावधान में कहा गया है कि ऐसी कोई भी फीस, जो ए. एफ. आर. सी. द्वारा निर्धारित की जाए, शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं होगी।

सी.

डी.

11. उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के 11-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और

ई.

अन्य [(2002) 8 एस. सी. सी. 481], सी. जे. द्वारा व्यक्त बहुमत की राय, अपने और पांच अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए, इस सवाल का जवाब दिया कि क्या शुल्क के विनियमन सहित शैक्षणिक एजेंसियों के प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासन के अधिकार में नकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन यह माना कि ऐसे नियामक उपाय गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के मामले में न्यूनतम होने चाहिए।गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसे विनियमित नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी संस्थान को कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए।इस बात पर जोर दिया गया कि जिस तरह से शिक्षा के व्यवसाय को एक अर्थ में धर्मार्थ माना जाता है, सरकार ऐसे नियम प्रदान कर सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, जबकि संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने और मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य परिभाषा के अनुसार "धर्मार्थ" है, इसलिए यह स्पष्ट माना गया कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से

आवश्यक नहीं है।इसे अलग तरह से रखने के लिए, बहुमत के अनुसार, एक शैक्षिक ए की स्थापना में

एफ.

जी.

एच.

733

आइकन एजुकेशन सोसाइटी बनाम मध्य प्रदेश और अन्य राज्य [संजय कुमार, जे.] ए.

संस्थान का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की है, लेकिन एक उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है, जो शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।अपने और न्यायमूर्ति अशोक भान के लिए बोलते हुए, S.N.Variava J की आंशिक रूप से विरोधाभासी राय यह थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र हो सकता है कि कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाए और मुनाफाखोरी का सहारा न लिया जाए, लेकिन विनियमन की सीमा सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए समान नहीं होगी।

बी.

12. इसके बाद, इस न्यायालय के 7-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में

सी.

पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

[(2005) 6 एस. सी. सी. 537], इस न्यायालय ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) में घोषित कानून के अनुसार, एक उचित शुल्क संरचना की स्थापना भी संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर एक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का एक घटक है, और प्रत्येक संस्थान इस सीमा के अधीन अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है कि कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और कोई कैपिटेशन शुल्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में नहीं लिया जा सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने की अनुमति है।इस सवाल पर कि क्या छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को देय शुल्क को विनियमित करने के मामले में दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते थे, इसलिए इसका सकारात्मक जवाब यह देते हुए दिया गया कि प्रत्येक संस्थान अपनी

शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क को रोकने के हित में विनियमित किया जा सकता है।

डी.

ई.

13. जैसा कि यहाँ पहले कहा गया है, 2007 का अधिनियम विचार के लिए था।

एफ.

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च में एक संविधान पीठ के समक्ष

मध्य प्रदेश राज्य में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विनियमन के संदर्भ में केंद्र (ऊपर)।उल्लेखनीय है कि शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधानों सहित 2007 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की वैधता/अधिकार पर भी हमला किया गया था।मुद्दा यह था कि क्या शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं या क्या वे विनियामक प्रकृति के हैं और संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत अनुमत हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के पास मुनाफाखोरी को रोकने के हित में शुल्क के निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति है और शुल्क के इस तरह के निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना है, इस न्यायालय ने कहा कि मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

जी.

एच.

2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में, जिन्हें शुल्क निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, वास्तव में, इस न्यायालय के पहले के निर्णयों में उल्लिखित थे।इसलिए इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2007 के अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण में कहा कि

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज बनाम राज्य

एम. पी. [(2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 760], जिससे अपील की गई थी, पूरी तरह से क्रम में थी।उसमें निहित टिप्पणियों का इस प्रभाव के लिए संदर्भ दिया गया था कि प्रत्येक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान घटकों की लागत, विकास और विकास के लिए

आवश्यक उचित अधिशेष और 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों से शुल्क लेने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, और यह कि ए. एफ. आर. सी. का कार्य केवल संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद यह पता लगाना है कि क्या संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है और यह शिक्षा के मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है।उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि ए. एफ. आर. सी. शुल्क का निर्धारण करते समय केवल प्रस्तावित शुल्क को अंतिम मंजूरी देता है, यह संतुष्ट होने के बाद कि यह धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था, और यह कि शिक्षा का कोई मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण नहीं था।उच्च न्यायालय ने तदनुसार निष्कर्ष निकाला कि 2007 के अधिनियम की धारा 4 (1), 4 (8) और 9 के प्रावधान, वस्तुतः, ए. एफ. आर. सी. को केवल यह संतुष्ट करने का अधिकार देते हैं कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है और यह 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है और यह अभिनिर्धारित किया कि 2007 का अधिनियम, इसलिए, निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थान के अपने शुल्क लेने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।उक्त व्याख्या को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि ए. एफ. आर. सी. जो उस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, केवल एक नियामक कार्य का निर्वहन कर रहा है, क्योंकि एक विशेष शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों से जो शुल्क लेना चाहता है, वह उक्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही सुझाया जाना चाहिए और ए. एफ. आर. सी. को खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था और यह 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित समझदार कारकों पर आधारित था।इसलिए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह केवल एक विनियामक उपाय था और इसने शैक्षणिक संस्थानों की अपनी फीस तय करने की शक्ति को नहीं खोया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आइकन एजुकेशन सोसाइटी बनाम मध्य प्रदेश और अन्य राज्य [संजय कुमार, जे.] ए.

ए.

14. आर. भानुमति जे. की पूरक राय में कहा गया है कि, हालांकि 2007 के अधिनियम की धारा 9 ने ए. एफ. आर. सी. को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया था, उच्च न्यायालय ने 2007 के अधिनियम की धारा 4 (1), 4 (8) और 9 को यह मानते हुए पढ़ा था कि वे प्रावधान "सार में" शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देते हैं।

समिति को केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है और यह अधिनियम 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है।विद्वान न्यायाधीश

बी.

तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य को 2007 के अधिनियम को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता है और शुल्क निर्धारण का विनियमन मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन हुए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों के अधिकार की रक्षा करना है।विद्वान न्यायाधीश विवादित विधान की वैधता को बरकरार रखने में बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हुए और उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।

सी.

15. इसलिए, अपीलकर्ता सोसायटी के लिए 2007 के अधिनियम की वैधता को फिर से चुनौती देने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही पढ़ा जा चुका है, जिसका अर्थ है कि ए. एफ. आर. सी. के पास शुल्क को विनियमित करने की शक्ति केवल एक बार होगी जब इसे शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता है, इसकी धारा 9 (1) में निहित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए।

डी.

16. इसलिए, जैसा कि मामला है, 2007 के अधिनियम की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि इसके तहत गठित ए. एफ. आर. सी., संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क के संबंध में केवल 'विनियमन' की शक्ति का प्रयोग करता है, जो 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) के मापदंडों द्वारा सशर्त है।वास्तव में, 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को शुल्क का प्रस्ताव करने के लिए दी गई स्वतंत्रता संरक्षित है और यह केवल शुल्क को विनियमित करने के माध्यम से प्रस्तावित है कि ए. एफ. आर. सी. संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद प्रस्तावित शुल्क की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा।ए. एफ. आर. सी. द्वारा अपनाए गए विपरीत रुख, जैसा कि अपीलार्थी सोसायटी को उसके संचार से स्पष्ट है,

इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।ए. एफ. आर. सी. के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा ली जाने वाली फीस को एकतरफा रूप से तय करने की मांग करना खुला नहीं है।साथ ही, यह अपीलकर्ता सोसायटी के लिए खुला नहीं है कि वह इस अभ्यास को करने में पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा करे और ए. एफ. आर. सी. द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से छूट की मांग करे। अपीलकर्ता समिति को अनिवार्य रूप से इसके द्वारा प्रस्तावित शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए -

ई.

एफ.

जी.

एच.

736

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

2007 के अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों और ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, समीक्षा और विनियमन के उद्देश्य से ए. एफ. आर. सी. को अपने संस्थानों के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

बी.

दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः शिवानी पुंडिर और शाश्वत जैन, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.